

MR CHAIRMAN The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Payment of Wages Act, 1936"

The motion was adopted

SHRI PRASANNBHAI MEHTA I introduce the Bill

15.31½ hrs.

**PAYMENT OF GRATUITY (AMENDMENT) BILL\***

(Amendment of sections 2, 4 etc)

SHRI PRASANNBHAI MEHTA (Bhavnagar) I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Payment of Gratuity Act, 1972

MR CHAIRMAN The question is

'That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Payment of Gratuity Act 1972'

The motion was adopted

SHRI PRASANNBHAI MEHTA I introduce the Bill

15.32 hrs.

**EMPLOYEES' PROVIDENT FUNDS AND MISCELLANEOUS PROVISIONS (AMENDMENT) BILL\***

(Amendment of sections 1, 2, etc)

SHRI PRASANNBHAI MEHTA (Bhavnagar) I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952

MR CHAIRMAN The question is

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Employee' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952'

The motion was adopted

SHRI PRASANNBHAI MEHTA: I introduce the Bill

15.32½ hrs.

**CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL\***

(Insertion of new article 16A)

SHRI ROOP NATH SINGH YADAV (Pratapgarh) I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India

MR CHAIRMAN The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India'

The motion was adopted

SHRI ROOP NATH SINGH YADAV: I introduce the Bill

15.33 hrs

**MENTAL HEALTH BILL—Contd.**

By Dr Sushila Nayar

MR CHAIRMAN We now take up further consideration of the following motion moved by Dr Sushila Nayar on the 23rd March 1978, namely

"That the Bill to consolidate and amend the law relating to the treatment and care of mentally ill persons, to make better provision with respect to their property and affairs and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration"

SHRI PURNA SINHA (Tezpur) Sir, Dr Nayar's Bill is a step in the direction of looking into the cases of the mentally deranged in the society brought for medical care, confined to the procedure of their detention, confinement and care of their person and property Under the Lunacy Act, there

are provisions for almost the same things as envisaged by Dr. Nayar, in this Bill. But what I find wanting is, however, the point viz. how easily the mentally sick persons could be brought to the psychiatrist, for the observation, then care and treatment as a disease which is curable.

After the first phase of treatment when a patient goes back to the society, what care should be taken to see that the relapse does not occur, and that he does not come back to the mental hospital, to remain confined for another period of years, as a result of which he never becomes a person useful to the society? This is to be taken into consideration in drawing up any Bill or in devising any measures for treatment of the mentally ill persons. As you all know, insanity is not a continuous process. There are fits of insanity. There are instances when people undergoing treatment in mental hospitals have been found to be sane, completely cured and have been given a vocation, such as to work in a vegetable garden. Suddenly, all of a sudden, he becomes mad. Very soon, within a short time, he becomes sane again and his Superintendent will see him doing the normal work. In the same way, people who have been normal, who have been doing work there, all of a sudden, relapse to a period of insanity, attempt to strangulate the people who look after them. Many such things have happened.

As I have told you the other day, I live nearest to the mental hospital in my constituency and I have also been the President of the Association of Workers there. Their conditions of work are deplorable. It is no exaggeration to say that 50 per cent of the workers, both male and female keepers, have been injured by the inmates when they became insane. The restrictions imposed on them by their conditions of work are such that they cannot use any weapons even to chastise insane people. They wear uniforms and

waist belts. Even that waist belt cannot be used for self-defence. But all the while they have to look after the insane persons. This is one aspect which I have come across during my visits to that place and my discussions with those workers. No special allowance is given to them for the risk which they are taking and no compensation is given to them if they die while in such a service. After all, they are only fourth grade employees, but they are looking after, not criminals in a jail, but non-criminals who are more dangerous, namely, lunatics inside the hospital. This aspect should be considered.

Another aspect is, after a mental patient has been discharged after cure, when he goes back to society, there is a likelihood of his becoming insane again. His relatives may be enjoying his property. But they will not take care of him, unless his parents or children are living. The other relations, like cousins and brothers will not look after him. Therefore, I would suggest that there should be some sort of levy on the people who are enjoying the property of people who are suffering from mental diseases, and that money should be utilized for running some asylum where these people can be kept for the rest of their life. They can cultivate vegetable, tend cattle or do some such odd jobs, or they may be employed even in the mental hospital. Some of the patients after treatment become useless for intelligent work, become just automata, who can do only fixed kind of work, or monotonous work like drawing water from a well or cutting earth. That kind of work can be given to them outside the hospital also. The hospital should not remain a prison for him. He can be taken to an open air asylum, where he can be given some sort of jobs like cutting earth, looking after cattle or growing vegetables. These are also aspects which have to be considered when we discuss a Bill relating to people who are mentally ill.

[Shri Purna Sinha]

Those people who work with mental patients for 10 or 15 years continuously do not remain sane. They also become abnormal and behave like insane people

AN HON MEMBER Then what is the fate of the President of the Workers' Association?

SHRI PURAN SINHA I go there only casually to look after them. A person who works with mental patients day in and day out for eight hours a day becomes abnormal in course of time. During my work connected with the Association I have noticed that even educated people even people who come from higher strata of society, when they work in these hospitals for long periods, behave in such a way that we feel they have to become insane. So, some care should be taken of those people also. They should not be made to work for their full term as Government employees in those hospitals. After working there for about ten years or so they should be transferred elsewhere so that they do not develop insanity and thereby ruin not only themselves but also their families. That has also to be seen besides looking after his security and after care.

A Bill like this may be a very good exercise. It is commendable, because during the last 30 years the Congress Government did not look into the case of the insane people. The insane people on the streets behave madly. They have to be brought under treatment because lunacy has been found to be curable. The insane can be made useful members of society. But this Bill must also look into certain aspects which can be known by a direct study of a mental hospital, whether at Tezpur Ranchi or any other place. We have to find out the real causes of insanity, how to mitigate it and have to prevent people becoming insane.

I can give one instance. There was an illiterate poor, young boy in my State who became insane and was con-

finned to a mental hospital. You will be surprised to know that after three years of his detention in the mental hospital, he drew sketches, formed models, then he became sane and was released. Today, he is an outstanding artist in my constituency. He models good figures, he designs, he draws and his artistic work is on display to the public. But, he again became insane, how? I may give you the real story. He was asked to erect a monument of the 1942 movement at a place where there was police firing in which 18 or 19 people had died. The design was his own. He started doing work but the people who were supposed to pay him did not pay him regularly. What happened? One day he became insane. He took a hammer in his hand and started breaking whatever he had built. He became violent, and had to be detained in a mental hospital. So, I say, insanity is not incurable, but if, after treatment sufficient care is not taken of the person who was insane earlier, he may become insane again.

This Bill only suggests what should be done with the property of the insane, how to look after the insane, who should be the visitors etc. But these are only superficial things which are also covered by the Indian Lunacy Act. There should be a Lunacy Act which would go into the matter from top to bottom, from the root of it to the ultimate cure. For that purpose I think Government should also take the opinion of experts in the medical field, psychiatrists, in drafting a Bill which would supersede the provisions of the present Indian Lunacy Act and decide how to treat the criminal and non-criminal lunatics. It should also decide whether a mental hospital should be only State-owned, a small asylum or prison for insane people, or it should be a real hospital, a national institution where people from all parts of the country may find a place easily. There should be a scientific basis for their treatment and cure, so that they may return to society as useful persons. Such a Bill is necessary.

I have taken part in the discussion on this Bill because I have some personal knowledge as to how a mental hospital is being managed, how the people working there behave, the medical attention paid to the patients and the treatment meted out to them. I would appeal to the hon Mover of the Bill to withdraw it and leave it to the Government to bring forward a comprehensive Bill. The other day the hon Health Minister stated that the Government was contemplating bringing forward such a Bill which would cover all the aspects of the mentally ill. I do support the principle of the Bill, the spirit of it, and I congratulate the hon ex Minister on the pains she has taken in presenting it, but I feel that a comprehensive Bill by the Government will be more appreciated. The provisions to be included therein should be based on technical knowledge as also the other aspect which I have already pointed out.

With these words, I request Dr Nayyar to withdraw her Bill.

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) सभा-पति महोदय, सभी हमारे माननीय मित्र सिन्हा साहब ने यह कहा है कि डाक्टर नायर इस विधेयक को वापस कर ले। मैं बहुत चकित हो गया कि जा काम सरकार नहीं कर सकी उस को एक गौरसरकारी सदस्य उपस्थित कर रही है, उन्होंने इतना परिश्रम किया है और उस को वह वापस कर लेने के लिए कहते हैं। वस्तुतः डा० नायर केवल एक सामान्य सदस्य नहीं है बल्कि वह हम स्वास्थ्य विभाग की एक अधिकारिणी रह चुकी है और एक विशेषज्ञ हैं। यह इंडियन ल्यूनेसी ऐक्ट 1912 का है। आज यह 65 साल पुराना हो गया है। असल इस का इतिहास तो यह है कि 1890 में इंग्लिश ऐक्ट बना और उसी के आधार पर यह इंडियन ल्यूनेसी

ऐक्ट 1912 का बना। इस का यह नाम ही बताता है कि यह बिल्कुल माइंट ब्राक डेट है। यह ल्यूनेसी नाम ही गलत है। बिल्कुल अन्धविश्वास और रुढ़िवादिता के आधार पर वह ल्यूनेसी शब्द है। किसी को ल्यूना का, चन्द्रमौं का कोई प्रकोप हुआ और वह पागल हो जायगा। वह तो बिल्कुल मीडिएवल पीरियड में जो अन्धविश्वास की बियौरी थी, बयौरी भाक ऐक्टियलाजी भाक पैरासीलियस कह बीज है। इसीलिए उन्होंने कितना सुन्दर नाम रखा है—मानसिक स्वास्थ्य विधेयक। वस्तुतः पागलपन एक सोशल स्टिग्मा के रूप में है और कोई पागल होता है तो हम लोग भी ऐसा समझते हैं कि वस्तुतः जिस प्रकार से सार्वजनिक स्वास्थ्य है उसी प्रकार से वह मानसिक स्वास्थ्य भी है समूची दुनिया की जो फिगर्स हैं उन को देखने से ऐसा मालूम पडता है कि जैसे जैसे हमारा समाज ज्यादा कामप्लेक्स हो रहा है उसी प्रकार से यह मानसिक बीमारिया बढ़ती जा रही है। न्यूरोसिस, साइकोसिस, सीजाफेनिया, डिमनेसिया प्रीकॉक्स और और भी कितने ही प्रकार की यह बीमारिया होती हैं। यही नहीं बहुत सी जो बीमारिया हाती हैं, एपलेप्सी और ब्लड प्रेशर वगैरह भी उसी से घीरे घीरे बढ़ते हैं। दुनिया में इस के सबध में काफी विचार चल रहा है। डेन्मार्क में यह बीमारी 1 परसेंट है। यू एस एस आर में 1 परसेंट मानसिक बीमारी के लोग हैं। यू एस ए में 3 परसेंट है। कैंनाडा में 3 4 परसेंट है, यू के में 2 परसेंट हैं जर्मनी में 3 परसेंट हैं और हिन्दुस्तान में सभी तक सरकार भाकडे भी उपस्थित नहीं कर सकी है। सरकार के पास भाकडे नहीं है कि कितने लोग मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं एक सैम्पल सर्वे के मुताबिक कहा गया है कि 3 से 5 प्रतिशत लोग यहा मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं। जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के बिज्ञ पुरुष हैं उन्होंने ग्रन्थाजा किया है कि 5 मिलियन लोग हमारे यहा मानसिक रूप से बीमार हैं [।

[डा० रामदी सिंह]

अब जब इतनी बड़ी समस्या हो यानि किस्म के काम में धंसे हैं इससे ज्यादा मानसिक रोगी हैं, राष्ट्र के समक्ष ऐसी बड़ी समस्या अब खड़ी हो तो इसका समाधान होना चाहिए और अभी सिन्हा जी ने जो कहा कि इसका आपस करलें यह सबमूच अधिक कर देने की बात है। सरकार के सामने अब भी ऐसा प्रश्न आया है तो बही पिटा पिटाया उत्तर जिला है कि सरकार इस विधेयक को ला रही है। डा० कर्ण सिंह का भी मैंने ऐसा ही उत्तर देखा कि हम ला रहे हैं और 1963 में भी यह कहा गया कि हम ला रहे हैं। तो यह कब तक लाएंगे? क्या जब तक सरकार खुद पागल न हो जाए तब तक? इसलिए मैं समझता हूँ डा० नैयर ने इस सदन का और विशेषकर स्वास्थ्य विभाग का बड़ा उपकार किया है जब उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य विधेयक, 1977 यहाँ सदन में पेश किया। उन्होंने इस विधेयक को पेश करने में बड़ी मेहनत की है और काफी अध्ययन किया है (अध्ययन) मैं इस बात को सुनकर आश्चर्य हुआ हूँ कि स्वास्थ्य मंत्री जी इससे भी ज्यादा कांफ्रिंसेसिव बिल लायेंगे।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : ला दिये हैं।

डा० रामदी सिंह : यह अच्छी बात है कि आप ला दिये हैं। कुछ संशोधन करके उसको पास किया जा सकता है। डा० नैयर ने अपने विधेयक के द्वारा पहले तो इसके नाम का पुनर्संस्कार किया है। स्पूनेसी शब्द से ही लोगों के दिल सहम जाते हैं। इसलिए उन्होंने इसके नाम में परिवर्तन किया है। फिर उन्होंने प्रवेश के संबंध में कहा है इंडियन स्पूनेसी ऐक्ट में जो प्रवेश विधियाँ हैं वह बहुत ही कमर्सियल हैं। उसमें आउट जोर पेशेंट्स के लिए कोई सुविधा नहीं है। यही नहीं और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे संश्लिष्ट समाज के अनुरूप नहीं हैं। हिन्दुस्तान में 4 दिसम्बर, 1970 को जो थर्ड नेशनल कान्फ्रेंस फ्रान बेलफेयर आफ मॅन्टली रिटायर्ड हुई थी उनमें भी इन समस्याओं पर काफी जोर दिया गया

था। वास्तव में ही मानसिक स्वास्थ्य की समस्या इस प्राधुनिक युग में बहुत ही प्रचलन और महत्वपूर्ण समस्या है। अमरीका में जो यू०एस०ए०कमेटी फ्रान हैडीकेण्ड परसेन्स बनी थी तो वहाँ के प्रेसीडेन्ट कनेडी ने 1963 में कहा था :

"There should be a war on mental retardation."

हार्बर्ट यनिवर्सिटी रेब्यू की रिपोर्ट है कि न्यूयार्क स्टेट में बीस में एक आदमी पागल खाने में रहता है। आज वस्तुतः जो समस्या हमारे सामने है वह जैसे जैसे समाज संश्लिष्ट हो रहा है वैसे वैसे यह समस्या और भी विकराल बनती जा रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन ने इस संबंध में जो सुझाव दिये हैं, मैं समझता हूँ माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने जो कांफ्रिंसेसिव बिल रखा है उसमें उन चीजों पर ध्यान दिया होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन ने मॅन्टल हेल्थ के सम्बन्ध में जो चर्चा की है उससे एक अनुमाना उन्होंने की है :

"The Committee recommends that 1954 Report continue to be used as a guide to the organisation of the services for the mentally retarded."

इस सम्बन्ध में मैं इसका विस्तार नहीं करना चाहता। यह ठीक बात है अगर हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं कि जल्दी जल्दी से बिल ले आयेगे और उस बिल में कुछ संशोधनों की अगर जरूरत होगी, जैसे कि डा० नैयर के मानसिक स्वास्थ्य विधेयक में कुछ अच्छी चीजें हैं, उनका समावेश करके यह सदन उस विधेयक को पारित कर सकेगा और उसके लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी धन्यवाद के पात्र होंगे।

इस सम्बन्ध में मैं एक चीज और कहना चाहूँगा। अपने देश में जो मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी हॉस्पिटल हैं उनमें किस प्रकार का कष्ट होता है उसके कुछ उदाहरण डा० सुशीला जी ने दिए हैं। उस दिन उन्होंने बताया था कि बीनगर के अस्पताल में कुछ बीमार जाड़े के कारण मर गए। बेली में भी पागलों को किस ब्लेक के साथ रखा जाता है वह इमर्जेसी में हमने देखा। तो मैं वह

कहना चाहता हूँ कि इसके लिए अधिक से अधिक अस्पताल होने चाहिए। अभी तक 34 या ज्यादा से ज्यादा 50 हैं। उनकी संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज की अवस्था से जब कि हमारा समाज—परिवार के अन्दर तनाव, समस्याओं के अन्दर तनाव, पार्टियों के अन्दर तनाव—रोज हमारा जीवन तनावों से अनिपूरित हो रहा है, ऐसे समय में मानसिक स्वास्थ्य के सम्बन्ध में सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिये। यह भी जनस्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण अंग है।

हमें पूर्ण विश्वास है कि सुशीला बहन ने जो परिश्रम किया है और जो महत्वपूर्ण सुझाव रखे हैं उन का समावेश भी सरकारी विधेयक में होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी में आग्रह करना चाहूंगा कि इसी सत्र में वह बिल हमारी सुशीला बहन के सुझावों के साथ पारित करने की दिशा में प्रयत्न करें

श्री श्रीम प्रकाश त्यागी (बहराइच)  
मैं बहन सुशीला जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ—उन्होंने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। परन्तु जैसा सरकार ने कहा है कि सरकार विधेयक बना रही है, बल्कि बन चुका है और पेश होने वाला है, मुझे आश्चर्य इस बात का है कि 1912 में अंग्रेज सरकार ने पागलपन के बारे में एक विधेयक बनाया था, उस के बाद अब तीस साल बाद हमारा ध्यान उस तरफ गया। इस लिये मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारी जनता सरकार के स्वास्थ्य मंत्री—श्री राज नारायण जी—इस बात के लिये बघाई के पात्र हैं।

लेकिन मैं बहिन जी का ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करूंगा—आप ने पागलपन की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया है, परन्तु हमारे देश के लगभग एक

और समस्या की है। इस देश में अर्ध-पागलों की संख्या बढ़ती जा रही है, उन का समाधान इस विधेयक में कैसे किया जायगा। मैं राज नारायण जी से भी यह सवाल पूछना चाहता हूँ—पागल तो इस देश में हैं ही, लेकिन अर्ध-पागल की संख्या भी इस देश में बढ़ती जा रही है, उन का समाधान आप कैसे करेंगे? 19 महीने के एमजेंट्सी के काल में हमने इन अर्ध-पागलों की स्थिति को देखा—इस लिये इन का समाधान भी होना बहुत जरूरी है। इस बिल से तो इन का समाधान मुझे सम्भव नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन एक बात में अचभय कहना चाहता हूँ, यद्यपि इस बिल से तो उस का सीधा सम्बन्ध नहीं है, लेकिन सुझाव के रूप में कहना चाहता हूँ। हमारे यहां प्रायुर्वेद का सिद्धान्त है कि बीमारी को दबाए के बजाय, बीमारी की जड़ को दूर किया जाये। सूखते हुए पेड़ का हटा करना है, तो पत्तों पर पानी छिड़कने से बात नहीं बनेगी, उस की जड़ में पानी पहुंचाना होगा। हम यह सोचना होगा कि पागलपन का कारण क्या है? पागलपन का मूल कारण क्या है और किस कारण से पागलपन पैदा होता है। सभापति महोदय, पागलपन अब और वृद्धि पर चलेगा, पागलों की संख्या यहां बढ़ती जायेगी—ऐसा मुझे भय लग रहा है। अभी जो आकरे डा० रामजी सिंह ने दिए हैं उन से स्पष्ट हो जाता है कि यूरोप में भी यह समस्या बहुत जोरों पर है। पागलपन की समस्या शारीरिक नहीं, मानसिक रोग है। मन की अवस्था जब उस सीमा पर पहुंच जाती है कि वह कंट्रोल नहीं कर पाता है, उस की बुद्धि और आत्मा कंट्रोल से बाहर हो जाती है, बुद्धि असफल हो जाती है, तब पागलपन पैदा हो जाता है। इस का मूलकारण है, मन का अज्ञान होना और मन के अज्ञान होने का कारण है—ये तमाम समस्यायें। वर्तमान समाज की समस्यायें इतनी टेढ़ी और जटिल बन गई हैं कि उन का समाधान करने में हर माता-पिता लगभग अर्ध-पागल

[ श्री श्रीमत् प्रकाश त्यागी ]

जैसे चल रहे हैं। इस देश में उस का सारा कारण है—गरीबी, बेकारी और नशा। इन कारणों से ये बीजों भा रही हैं। अगर सरकार चाहती है कि देश में पागलों की संख्या कम हो और उन की बीबीं की इलाज हो और उन की प्रीपटी की रक्षा के लिए कुछ प्रबन्ध हो, तो मैं यह समझता हू कि उन कारणों को दूर करने की और सरकार को ध्यान देना चाहिए जिन की वजह से लोग पागल हो जाते हैं। केवल स्वास्थ्य मंत्री की के कुछ करने से बात नहीं बनेगी। इसमें बित्त मंत्रालय शामिल होना चाहिए और इस में हीम भिनिस्ट्री भी शामिल होनी चाहिए। इन स. के कोप्रोगेशन से ही मूल समस्या का समाधान हो सकेगा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हू। भाब स्थिति यह है कि मां—बाप अपनी लड़की को पढ़ाते हैं और जब वह बड़ी हो जाती है, तो उन के सामने उस की शादी की समस्या भा कर खड़ी हो जाती है। लड़के वाले पैस की मांग करते हैं। अब अगर किसी माता-पिता के दो, तीन लड़कियां हैं और उस क पास पैसा देने के लिए नहीं है, तो वे पागल नहीं होंगे तो क्या होंगे। मैं उन लड़कियों को जानता हू जो पागल जैसी अवस्था में भा गई हैं। आज समाज की स्थिति इतनी टेडी और जटिल बन गई है कि बेकारी इस देश में बढ़ गई है और जो गरीब लोग हैं वे न मालूम क्या क्या ऊट-पटांग खाते हैं और पीते हैं और पागल जैसी उन की अवस्था हो जाती है। इस तरह की चीजों पर नियंत्रण करना होगा और इन समस्याओं के समाधान होने के परचात् अगर कोई पागल बनता है, तो फिर उस की परवाह करनी चाहिए। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस विधेयक में इस तरह की बातों की तरफ ध्यान धाकूट नही किया गया है। पागल की प्रीपटी का ध्यान किया जाए, इस के बारे में इस विधेयक में कहा गया है। के तो यह चाहूंगा कि पहले उस की मेण्टल हेल्थ का ध्यान किया जाए। इस में सकल यह

पैदा होता है कि उस पागल का ध्यान कौन करे? सब से पहली बात यह आती है। भाब हम देखते हैं कि बलियों में और सड़कों में पागल घूमते रहते हैं। नौजवान पागल लड़किया घूमती रहती हैं और उन के सामने पुलिस खड़ी समाया देखती रहती है। बालक, बलियों में उन पागलों के पत्थर मारते हैं और वे नबे, छडे पुराने कपडे पहने घूमते रहते हैं और बीराही पर खडे हुए हंसते रहते हैं। उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि कानून में इस तरह का परिशर्तन करना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति के पागलपन की रिपोर्ट भाए, तो पुलिसवालों का यह कर्तव्य हो जाना चाहिए कि वह उस पागल को ला कर भस्पताल में बाकायदा पहुचाए।

16:00 hrs.

मैं आप को एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैं अभी कलकत्ता गया था। वहा मैंने एक अच्छे घराने की पागल स्त्री को देखा। वह बहुत सुन्दर स्त्री थी यानी नौजवान थी लेकिन उस के बच्चा न होने के कारण उस के पति ने उस को तंग किया। एकाध महीना वह उस के माथ रही लेकिन बाद में पागल अवस्था में भा गई। इस का परिणाम क्या हुआ कि वह गुण्डों के हाथ में भा गई। मैं धार्य समाज में पहुचा हुआ था, मेरे पास इस बात की रिपोर्ट भाई। वह भले घर की स्त्री थी। मैंने उन स्त्री को वहाँ से ला कर रांची के भस्पताल में भिजवाया ताकि वहाँ पर उसका इलाज हो सके।

अभी कल परसों की ही बात है। मैं 29 मार्च को लखनऊ स्टेशन पर था। वहाँ मैंने शाम को एक नौजवान लड़की पागलों की तरह हसती फिरती देखी। एक तरफ वह हसती फिरती थी और उस के पीछे एक और पागल बीजता भा रहा था "मैं यह कर दूंगा और यह कर दूंगा, मैं नबर्नैट बंधन दूंगा"। मैंने कहा यह क्या बात है। वहाँ पर लखनऊ में जा कर चकरी है

उस स्पेक्ट्रम पर दो पागल थे, एक बहू भी और एक के समान थे। कोई मिलिट्री का कब्रिस्तान मालूम पड़ता था। उसकी कोई-न-कोई समस्या होगी क्योंकि यूनिफार्म उसके कंधे पर थी। वह पुरानी जूजर थी।

हर शहर में इस प्रकार की घटनाएँ आपको मिल जाएंगी लेकिन उन विचारों की कोई पूछने वाला नहीं है। मैं यहीं दिल्ली शहर में एक ऐसी पागल औरत को जानता हूँ जो कि मुन्धों के हाथ में पड़ गयी। उस विचारों के गर्म रह गया। उसके बच्चा हुआ और वह उस बच्चे को लिये घूमती रही। किसी ने उसे अस्पताल नहीं पहुँचाया। आज हमारे देश में ऐसी स्थिति है। ऐसे लोगों की क्या दुर्दशा होती है, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है।

इसलिए पहले तो मैं यह चाहता हूँ कि सरकार को अपना यह कर्तव्य समझना चाहिए कि इस प्रकार के लोगों को वह अस्पताल पहुँचाये। जो इस प्रकार से सड़कों पर मारे-मारे फिरते हैं उनके लिए अस्पतालों में व्यवस्था होनी चाहिए। आप बेशक इसके लिए संविधान में परिवर्तन कीजिए, या कोई कानून बनाइये या होम मिनिस्ट्री में ऐसी कोई व्यवस्था कीजिए जिससे पुलिस पर यह जिम्मेदारी हो कि वह ऐसे लोगों को अस्पताल पहुँचाये।

आपने प्रापटी के बारे में तो सोचा है लेकिन बहुत सारे लोग समाज में ऐसे भी हैं जो पागल हो जाते हैं। उनके पागल हो जाने के बाद उनके बच्चे भ्रमण हो जाते हैं। उनका पूरा का पूरा परिवार भ्रमण हो जाता है। परिवार की पूछताछ करने वाला कोई नहीं होता है। मोहल्ले के लोग उस परिवार के सदस्यों का अनुचित लाभ उठाते हैं। अन्धकार महोदय, मैं लगभग 40 वर्षों से सामाजिक कार्य करता आ रहा हूँ इसलिए मैं जानता हूँ कि किसी परिवार का यदि कमाने वाला पागल हो गइए है तो उसके परिवार के

सदस्यों की क्या अवस्था होती है। उसकी गीजबान लड़की है, छोटा बच्चा है, कमाने वाला तो पागल हो गया, उसके परिवार का क्या बनेगा, इसे कोई नहीं देखता है। उसके पास कोई प्रापटी नहीं है। उसकी भसली प्रापटी तो उसके बच्चे हैं, उसकी धर्म पत्नी है। उनको देखने वाला कोई नहीं होता।

मैं अस्पताल की व्यवस्था के बारे में भी कहना चाहूँगा। वैसे तो आपको ज्ञान होगा कि देश में कितने पागल हैं, उनकी संख्या के अनुसार कितने अस्पतालों की आवश्यकता है, और इस समय हमारे देश में कितने अस्पताल हैं। लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि पागल की बात तो भ्रमण है, आज एक टी०बी० के बीमार को अस्पताल में दाखिला नहीं मिलता है। लोग दाखिले के लिए हमारे पास रिक्तभेदों के लिए धाते हैं। देश में बीमारियाँ बढ़ रही हैं लेकिन उनके हिसाब से देश में अस्पताल नहीं बढ़ रहे हैं। देश में आज अस्पतालों की बढ़ी कमी है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूँगा कि आप चाहें आयुर्वेद या होम्योपैथी का इलाज करायें लेकिन रोगियों के इलाज की देश में पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। हर व्यक्ति को बगैर किसी सिफारिश के अस्पताल में दाखिला मिल जाए, ऐसी व्यवस्था आप करें।

श्रीमान यह मस्तिष्क क्यों विगड़ता है? यह मन के असंतुलन से विगड़ता है। हमारे देश में वर्तमान समय में यह व्यवस्था नहीं है कि हम ऐसे रोगियों के दाखिले का पूरा प्रयास कर सकें। रोगी को सिफारिश से ही दाखिला मिलता है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से चाहूँगा कि वे ऐसी व्यवस्था कर दें जिससे बिना किसी सिफारिश के इस प्रकार के रोगियों को अस्पतालों में दाखिला मिल जाए। मैं मंत्री महोदय से सहमत हूँ कि यह एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक खोज हुई है कि मन के असंतुलन से मस्तिष्क को संतुलन खराब हो जाता है।



[श्री शोम प्रकाश स्वामी]

इस मन के असंतुलन से केवल व्यक्ति पागल ही नहीं हो जाता बल्कि बहुत सी ऐसी बीमारियों भी लग जाती हैं। बहुत-सी बीमारियों की जड़ यह मानसिक असंतुलन है। इस मन को नियंत्रित करने की दिशा में भी हमारा प्रयास होना चाहिए।

मनुष्य अपनी चिन्ताओं पर बेचैनी पर और इन से सम्बन्धित समस्याओं पर समाधान पा सकता है। अभी अमरीका में ब्लड प्रेशर और दूसरी बीमारियाँ जिनकी तरफ इशाग किया गया है और जिन का सम्बन्ध मन से है, उनका इलाज वहाँ डाक्टरों के पास नहीं है। दो चार बीमारियों का ही है, अधिकारा का नहीं है। अगर सरकार योग पर, मैडीटेशन पर ध्यान दे और इसको अस्पतालों का अंग बना दे, इसको भी अस्पताल मान कर चले और देश भर में इसका प्रचार और प्रसार करे तो बहुत सी बीमारियाँ हैं जिन का इलाज हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारी एक दास मनोवृत्ति बन गई है। जब तक विदेश के लोग किसी बात पर मुहुर नहीं लगाते हैं, वे उसका अपना नहीं लेते हैं तब तक हमारा मस्तिष्क उसका स्वीकार करने के लिए नैयार नहीं होता है। अमरीका में यहाँ के हमारे योगी पढ़ें, वहाँ उन्होंने इसका प्रचार किया और वहाँ इस पर ग्रन्थ लिखे गये। उन्होंने वहाँ अपने शिष्य बनाए और शिष्य ले कर वे यहाँ आए। अब जा कर यहाँ के लोगों ने कहा कि इस में तो कुछ तत्व मालूम पड़ता है और तब हमारे लोगों का ध्यान इस ओर गया। मैं चाहता हूँ कि इस ओर सरकार का ध्यान आए। आप योग और मैडीटेशन पर साइंटिफिक रिसर्च यहाँ पर कराएँ। अमरीका में हो रही है। कुछ है कि हमारी अपनी विद्या है और यहाँ पर इस पर रिसर्च नहीं हो रही है। कोशिश यही की जानी चाहिए कि वह पागल बने ही नहीं और जो कारण हैं उनको ही दूर कर दिया जाए। अगर आज बोधा सा भी मैडीटेशन

पढ़ें बीस मिनट वह करता है और उसको इसका ज्ञान ही जाता है, अभ्यास ही जाता है तो बहुत सी समस्याओं पर उसका काबू हो जाता है और पागलपन की स्थिति तक वह बहुत मुश्किल से पहुँच पाएगा। इस पर आप ध्यान दें।

मैं इस विधेयक का धावर करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं धाशा करता हूँ कि स्वास्थ्य मंत्री भी इस विधेयक की भावना का स्वागत करेंगे और एक कम्प्रिहेंसिव विधेयक जल्दी लाएँ ताकि यह एक जो बहुत बड़ी समस्या है इसका समाधान हो सके। ये जो बीमारियाँ पैदा होती हैं ये धार्मिक समस्याओं बेकारी, बेरोजगारी, आदि की वजह से भी पैदा होती हैं। साथ ही हमारी सामाजिक समस्याएँ भी हैं। श्रेय जय प्रकाश जी ने जो नारा दिया है सम्पूर्ण क्रांति का उसको साकार करने के लिए सभी मजदूरों को मिल बैठ कर इस समस्या का समाधान निकालना होगा। वही इसका स्वामी इलाज कर सकेगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री राज नारायण : इस बात को मैं पहले ही स्पष्ट कर दूँ कि डा० सुशीला नायर के व्यक्तित्व का मेरे व्यक्तिगत जीवन पर भी काफी प्रभाव है। गांधी जी से जो उनका सान्निध्य था उसका भी मेरे ऊपर काफी प्रभाव है। माननीय सदस्यों ने विन्हीने भावण किए हैं उनका भी काफी प्रभाव है। यदि मैं डा० नायर से यह सादर साग्रह निवेदन करूँ कि उनके इस विधेयक की सारी भावनाओं का सरकार अपने विधेयक में समावेश करलेगी और सरकार की प्रातिशील विधेयक प्रस्तुत करने जा रही है और इसको वह आपिस ले लें तो मैं सन्नता हूँ कि मैं अपने कर्तव्य का ही पालन करूँगा।

हमारा विधेयक भी तैयार हो गया है। उसको तैयार करने में जिस तरह के इच्छा

तैयार करने में काफ़ी परिश्रम करना पड़ा है, काफ़ी परिश्रम करना पड़ा है। तमाम राज्यों की राय पहले मांग ली गई है। हमारा जो क़ानून विभाग है उसने भी उसको भ्रष्टी तरह से देख लिया है। फिर उस पर कुछ न कुछ सुझाव आते ही रहते हैं। जैसा उसका नाम मानसिक स्वास्थ्य विधेयक है। अब इसी पर हमारे यहां विवाद है कि इसका नामकरण क्या हो? मानसिक स्वास्थ्य के माने क्या? तो कुछ लोग कहते हैं कि मानसिक रोग निवारण विधेयक रख दीजिये, कुछ लोग कहते हैं कि मानसिक आरोग्य विधेयक नाम रख दीजिये, कुछ लोग कहते हैं कि विकृतता निवारण विधेयक नाम रख दीजिये। यह मामूली बातें हैं। तो हम भी जो विधेयक लायेंगे हम यह भी सिफारिश करेंगे कि जॉइंट सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाय जिसमें माननीया मुशीला नायर जी भी रहेंगी, श्रीर जो लोग बोले हैं, जो लोग जानकार हैं वह भी रहेंगे, दोनों सदनों के लोग रहेंगे और भ्रष्टी तरह से विचार विनिमय कर के उसकी एक भ्रवधि रख दी जाय कि एक महीना, दो महीने के अन्दर उस विधेयक पर प्रवर समिति की रिपोर्ट आ जाये, और यह मामला चल जायेगा।

मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि पागलपन, पागल शब्द से मूखको भी थोड़ा सा यह शब्द अवबधिकार है। इसका बदलना जरूरी है। और उसको कैसे बदला जाय यह हमने डा० सुशीला नायर के लिये रख दिया ताकि उनकी सूझबूझ और बहुत ही भ्रष्टी परिपक्व राय आयेगी। मगर एक बात है, यहां अगर मैं रस में जाऊं तो पागलपन कहीं कहीं बहुत गहरा हो जाता है :

तंजरी नाद कथित रस, सरस राग रसि रंग,  
अनबूड़े बूड़े तरे, जे बूड़े सब भंग।  
तो कहीं कहीं कभी पागलपन भी बहुत भला हो जाता है। वह पागलपन क्या है? जैसे श्रीरा का कृष्ण में अनुराग, राधा का कृष्ण में अनुराग, प्रेम पागल। तो वह तो मैंने

केवल आपके बोड़े से मस्तक के बोड़ों को हल्का करने के लिये बता दिया।

एक माननीय सदस्य : आप भी पागल हैं किसी के।

श्री राज नारायण : हम पागल हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिये। हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो उस के पीछे हम पागल हैं। और हमारा लक्ष्य क्या है इस के लिये तो फिर कभी संसद सदस्यों को गोष्ठी हो तो उस में विचार विनिमय किया जाय। मगर एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत से लोग जो अपनी भारतीय पद्धति के बारे में कुछ यहां पर बोल गये, आयुर्वेद के बारे में बोल गये और यह बोल जाते हैं कि हम पीछे जा रहे हैं। अब एक तरफ दुनिया मंगल गृह पर जा रही है और हम पीछे जा रहे हैं। मैं उन से कहना चाहूंगा कि वह अपनी भारतीय संस्कृति को और भारतीय प्राचीन ग्रन्थों को, वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को पढ़ें। गृहों का जितना भ्रष्टा विश्लेषण आप के यहां है उतना भ्रष्टा विश्लेषण आप दुनिया में कहीं नहीं पायेंगे। समझ लीजिये कि आपके यहां जो लोग गृहों का निराकरण करने के लिये तमाम लोगों को इधर उधर से देखते हैं समझते हैं, वह क्या है। इन गृहों का सच्चा ज्ञान भारत ने सब से पहले दिया। इन गृहों की दूरी तक नापी, गृह कहां से कहां गये इसके बारे में बताया। प्रहण के स्वरूप की कल्पना की। मगर यह लोग भूलें हुए हैं। तो मैं इन के लिये खाली इतना बता देना चाहता हूँ कि अगर मैं आयुर्वेद का नाम ले लूँ, ब्रह्मचर्य का नाम ले लूँ, अगर कोई ब्रह्मचारी रहे, उस वृत्त का पासन करे तो पागल हो ही नहीं सकता। मानसिक विकृतता या ही नहीं सकती। अगर मानसिक विकृतता को दूर करना है तो आप निश्चय रूप से इस बात को मान लीजिये, योग पर बैठिये, साधना कीजिये, ध्यानावस्थित होइये।

रामायणके बारे में यहां बोल गये। पहले रामायण पढ़ो तो। राम राज्य के बारे में

[श्री राज नारयण]

बोल गए। उते पढ़ो तो : जब विभीषण जाये है राम के पास तो लोगों ने क्या कहा "जान न जाये निशाचर माया, कायरूप केहि कारण भया। महाराज यह निशाचर है इस को अपने दल में न लो, इस की माया जानी नहीं जा सकती। तो राम ने क्या कहा :

"सुनहु सखा कह कृपा निधाना,  
जेहि जय होय सो स्पन्दन भाना।"

जब विभीषण घबरा गया और कहने लया :

"रावण रथी विरथ रघुवीर,  
देख विभीषण भयउ घधीरा।"

तब राम ने कहा :

"सुनहु सखा कह कृपा निधाना,  
जेहि जय होय से स्पन्दन भाना।"

"हे विभीषण, सुनो। जिस से जय होती है, वह रथ हमारे पास है।" क्या रथ है ?

धीरज, धीरज, तेहि रथ चाका,  
सरयशील दुग्धज पताका,  
बल विवेक दम-परहित घोड़े,  
अमा दया, समता रजु जोड़े।

अर्थात् हमारे रथ के चार घोड़े हैं : बल, विवेक, दम और परहित। स्वहित नहीं, परहित। बल के साथ विवेक, विवेकपूर्ण बल। विवेकहीन बल और सत्ताराक्षसी है। हम ने जो इमर्जेंसी काल यहां काटा, वह राक्षसी काल था, वह विवेकहीन बल था।

आप महाभारत को पढ़ें और कृष्ण तथा गांधी की तुलना करें। हम संसद्-सदस्य हैं, मकर इतिहास के कालचक्र का ज्ञान हमें प्राप्त नहीं है। कृष्ण पैदा होते हैं जमुना के किनारे और मारे जाते हैं समुद्र के किनारे। गांधी पैदा होते हैं समुद्र के किनारे और मारे जाते

हैं जमुना के किनारे। इन दोनों अर्थों का अभ्ययन करना चाहिए। मैं बहुत आप पर छोड़ दिया है।

कृष्ण ने कहा कि मैं तब इस दुनिया से जाऊंगा, जब यदुबंधियों का संहार करा दूंगा—अपने बंस का। उन का बंस बहुत ही ताकतवर और बलवान था। वह कहते थे कि अगर मैं नहीं रूढ़ंगा, तो हमारे यदुबंधियों के पास इतनी सत्ता है कि वे किसी को रखने नहीं देंगे। इसलिये मैं पहले उन का संहार करा लूंगा। फिर उन्हीं ने दुर्वासि मुनि को बुलवाया, शाप दिलवाया, और यदुबंधी आपस में लड़-कट कर मर गये।

कृष्ण को मारता है बाली नामक बहेलिया। राम ने मारा था बाली को। तो बाली नामक बहेलिये ने मारा कृष्ण को, अर्थात् राम को। इस बात को पकड़ लें। अगर मानसिक स्वस्थता हममें है, तो हम इस बात को क्यों नहीं पकड़ते ? गांधी ने 29 जनवरी, 1948 को एक लेख लिखा कि कांग्रेस को तोड़ दो। वह लेख पढ़िये। 30 जनवरी को वह लेख अखबारों में प्रकाशनार्थ दे दिया। तब बड़े बड़े नेताओं ने गांधी जी को मना किया कि अभी आप का लेख नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समय आ गया है, तो जायेगा, समय आ गया है। उन्होंने लेख को प्रकाशनार्थ अखबारों को दे दिया और प्रार्थना सभा में आने लगे। उसी सभा के बीच से एक हत्यारा उठता है, गांधी जी को रास्ते में घेरता है, पाकेट से पिस्तौल निकालता है और उन पर तीन बार करता है। गांधी जी खून से लथपथ होते हैं और प्राण-पखेरू उड़ जाता है। साबे बेश में तीस सिपाहियों की टोली पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के द्वारा वहां तैनात की गई थी वह तीस सिपाहियों की टोली कहां थी ? उस हत्यारे को एक मांसी के बेटे ने पकड़ा। जो फूलों की क्यारी में काम कर रहा था। उस ने कुदाल फेंक दिया और हत्यारे को पकड़ लिया।

यामाजिक (सामाजिक) कक्षा-कोष्यपद्धत से भी का जाती है। इस का भी नियन्त्रण करना है। सत्ता-सोप्यता, सत्ता छीनने की लिप्सा, क्षमिलाक्ष क्षम शोक सभा में कल, परसों और नरसों के भाषणों को पढ़ लें। सब के पीछे उन्मत्त है। उस उन्मत्त को हम पसन्दते रहते हैं। आप समझिए कि मानसिक स्वस्थता और मानसिक विकृतता क्या है? इटर्नल बजर के नाम पर अपने देश में एमर्जेंसी को लागू कर दिया, यह मानसिक विकृतता के अन्वयर आया या नहीं? मेरा यह सवाल है। उठ रहे हैं ये सवाल कि कोई दे जबाब। इस सवाल का जबाब होगा। यह भी एक मानसिक विकृतता है। यानी किस तरह से दिमाग खराब हुआ कि इस तरह की एमर्जेंसी अन्तर्गत खतर के नाम पर अपने देश में लग गई और श्री जय प्रकाश नारायण, जिन्होंने सन् 42 में हजारी बाग जेल को बांध कर क्रांति की बुझती हुई बिगारी में प्रलग भाग फूक दी थी, उन को भी पकड़ कर के बन्द कर दिया। मोरारजी भाई भाज हमारे प्रधान मंत्री हैं उन को भी पकड़ कर के बन्द कर दिया। चौधरी चरण सिंह बीमारी की हालत में थे, उन के पांव की हड्डी बड़ी हुई थी, उन को भी पकड़ कर बन्द कर दिया। हम से सब लोग रातों रात बन्द कर दिए गए। . . . (अव्यवधान) . . . हम तो हमेशा ही तन्दुरुस्त रहते हैं, हम रंगीले जवानों के लिए तो बहार ही बहार है। इस तरह से सब बातों को आप समझिए : आज जिन बातों को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, मेरा प्रयत्न होगा कि इन के बारे में भी विचार हो, जब फ्लाइंट सेलेक्ट कमेटी में यह चीज जाय और इस पर भी सोच समझ कर कोई व्यवस्था हो। डा० पुशीला नायरजी के विधेयक में यह नहीं है और हम ने जो विधेयक रखा है वह उस से बहुत विकसित है, आचार है नगर उस में भी इस की व्यवस्था नहीं है। एक अर्लैन्ड एशियाटिक साइकिया-

ट्रिस्टस कॉन्फरेंस थी, उस में बर्बर्से के कई बड़े-बड़े डाक्टर आए थे, उन के सामने मैंने यही समस्या रख दी। मैंने कहा और मैं यह यहाँ सदन में डिक्लेयर करके जाता हूँ कि मैं अरुं तो मेरा दिमाग और मेरा पूरा का पूरा शरीर अस्पृश्याल क्रो दे दिया जाय। मेरा कोई परिवार नहीं। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, कोई घर नहीं, किसी से मेरा रिश्ता नहीं, यो सामाजिक दृष्टि से आप देखेंगे तो रिश्ते हो सकते हैं। बाकी हमारा कोई संबंध नहीं है। 1958 से इतने साल हम को अपना घर छोड़े हो गए। 58 बार हम कांग्रेस के राक में जेल गए। क्यो? 58 बार मैं जेल गया और 15 साल मैंने जेल में गुजारे जब से भारत आजाद हुआ। क्यो? इस को भी खोजिए। इस में भी कहीं मानस-विकृतता अक्षती है या नहीं? इस के बारे में भी देखना चाहिए कि मैं पागल था क्योंकि मैं बराबर जेल जाता था, उड़े खाता था, लात खाता था। आप देखिए, यह हमारे मित्त कामत साहब है, इन को देख कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो गई। इन्होंने देखो है, हमारी पुरानी दाढ़ी कितनी खड़ी थी?

श्री हरि बिष्णु कामत : मानदार श्री।

श्री राज नारायण : 1956 के मार्च महीने में काशी विध्वनाय मंदिर में हरिजनो का प्रवेश कराने में गया और श्रीमती इंदिरा गांधी की पुलिस जबर्दस्ती मुझे को तीन फ्लॉन बाड़ी पकड़ कर खीच ले गई। सैकड़ों लोग जेल में बन्द कर दिए गए। आज जो बहुत से लोग हरिजनो के नाम पर फ्लोकोबाइल टीयर्स बहाते हैं, मैं उन से पूछता हूँ कि वे कहां थे? यह मानसिक विकृतता की बात है या नहीं? मैं यह कहता हूँ कि—

उन्होंने पहले अपनी तक नाम से न उतरे, और उतरेपने वाले तक कर फलक को छूँ धाएँ।

श्री हरि बिष्णु कामत (होममन्त्रालय) : मैंने अपनी दाढ़ी इटलीयिने लम्बी नहीं रखी है ताकि कोई खीच न सके।

श्री राज नारायण : जी हा, आप उस को बढ़ाइये ।

तो इस के बारे में भी खोज होनी चाहिए कि मानसिक विकृतता यह है या नहीं । इन तमाम बातों को देखिए । सामाजिक विश्लेषण करते समय देखिए कि कौन किस समय किस दृष्टि से सामाजिक विश्लेषण करता है । उन दृष्टियों को देखिए । नाट जैसे वेन डजेन बारतो में ने केवल हरिजनो के लिए जेल काटी है । उन के मकान के लिए, उन के खेत के लिए, उन के कुए के लिए, उन के पानी के लिए उन के साथ डडा लेकर लडाईं की है और हम तो बन गए, भ्रम क्या बताए ?

नयी नयी बिटिया नये नये गीत ।

या ले बिटिया भर भर गीत ॥

तो यह सब मानसिक विकृतता में आया या नहीं, इस पर भी विचार हो और गभीरता के साथ विचार हो । इसीलिए मैं माननीय सुशीला नायर जी से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि इस को वे वापस लें । वे उस कमेटी में बैठें । जो कुछ भी कमी इस विधेयक में हो जो सरकार पेश कर रही है उस को देखें और उन के विधेयक से जो उस में और विकास हुआ है उस को देखें ।

मैं इस सब में आप को और बातें बता देना चाहता हूँ ।

कुछ फीगर्स भी मैं आप को देना चाहता हूँ । मैं यह पढ़ रहा था, पहले मैं कोट करना नहीं चाहता था लेकिन चूँकि कुछ लोग बोले इसलिए कोट कर रहा हूँ ।

Dr Glen Davidson, project co-ordinator, who is now in the city has opined that the systematic approach and inherent features of Ayurveda will have an impact on the medical profession in America."

आयुर्वेद के बारे में उन्होंने यह अपनी राय दी है । आपने वे कहे हैं ।

"The S.I.U. faculty has investigated medical systems in other parts of the world but have found Ayurveda to be the most systematic"

उन्होंने कहा है कि आयुर्वेद जो है वह दुनिया में सब से ज्यादा सिस्टेमेटिक है, यह हम ने पाया है । आयुर्वेद के द्वारा हम कहाँ तक पागलपन को दूर कर सकते हैं इस पर भी हम को सोचना पडगा । मैं त्यागी जी का जवाब दे रहा हूँ । डा० सुशीला नायर को ही जवाब नहीं दे रहा हूँ । त्यागी जी ने कहा कि दवाओं की क्या व्यवस्था है, इलाज क्या है तो जैसा मैं ने कहा, हम इस के बारे में भी सोच रहे हैं । हमारा आयुर्वेद, हमारा यूनानी हमारा योग, हमारी प्राकृतिक चिकित्सा—यह सभी जो चीजे है यह पागलपन को दूर करने में, विकृति को दूर करने में, बिखिप्तता को दूर करने में और मानसिक स्वस्थता को लाने में कहा तक कारगर होगी, इन बातों पर भी हम विचार कर रहे हैं । आप ऐसा मत सोचें कि उधर हमारी दृष्टि ही नहीं है

श्री हरि बिष्णु कामत । क्या यह सही है कि आयुर्वेद पंचम वेद कहलाता है ।

श्री राज नारायण : महाभारत पंचम वेद कहा जाता है, आयुर्वेद उपवेद है ।

आंध्र प्रदेश में मेंटल हास्पिटल दो हैं, अमम में एक है, बिहार में दो हैं, दिल्ली में दो हैं, गोवा में 1 है, गुजरात में चार हैं, हरियाणा में एक भी नहीं है, जम्मू कश्मीर में दो हैं, केरल में तीन हैं, मध्य प्रदेश में दो हैं, महाराष्ट्र में पांच हैं, मैसूर में दो हैं, उड़ीसा में एक है, पंजाब में एक है, राजस्थान में दो हैं, तमिनाडू में एक है, उत्तर प्रदेश में तीन हैं और वेस्ट बंगाल में चार हैं । इस प्रकार से देश में कुल 38 मेंटल हास्पिटल हैं ।

साइकियाट्रिक क्लिनिकस जो हैं उनकी भी अलग-अलग फीगर्स मैं आपको दे देता

हूँ। श्रीलंका में दो, बिहार में दो, दिल्ली में चार, गुजरात में एक, हरियाणा में एक, जम्मू कश्मीर में एक, केरल में एक, मध्य प्रदेश में एक, महाराष्ट्र में एक, मैसूर में दो, उड़ीसा में दो, पंजाब में एक, राजस्थान में एक भी नहीं है, नमिलनाहूँ में दो, उत्तर प्रदेश में एक भी नहीं है और वेस्ट बंगाल में पांच हैं।

जैसा कि सम्मानित सदस्य ने कहा है, कुछ प्राइवेट लागू भी व्यवस्था करते हैं। जहाँ तक हमसे हो सकेगा, उनकी सहायता भी हम करेंगे। हम देखेंगे कि यह कौन-कौन-कौन-कौन विकसित हो और रास्ते पर चले। भ्रम में सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, जल्दी-जल्दी बता देता हूँ।

भ्रम में आप का हम को भूमिका बतलाना चाहता हूँ— डा० सुशीला नैयर के मानसिक स्वास्थ्य विधेयक, 1977 पर मैंने विभिन्न माननीय सदस्य, जिनमें डा० सुशीला नैयर भी सम्मिलित हैं, के विचार बड़े ध्यान से सुने। इस से पहले कि मैं इस विधेयक पर टिप्पणी करूँ, मैं सरकार के उन प्रयासों का सक्षिप्त में उल्लेख कर देना चाहूँगा जो उसने भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 का जो इस समय भारत में लागू है, बदलने के लिये किये। सरकार हम बात को समझती है कि भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 के उपबन्ध, जो मुख्यतः यह सुनिश्चित करने के लिये थे कि किसी पागलखाने में जब किसी व्यक्ति को भर्ती किया जाय या रोका जाय, तो उसे कानूनी प्रक्रिया के द्वारा ही ऐसा किया जाय, अब पुराने पड़ गये हैं। मानसिक रोग इन व्यक्तियों के प्रति अब समाज का दृष्टि बहुत कुछ बदल चुका है और अब यह महसूस किया जाने लगा है कि इस बीमारी से कोई एप्रोबियम नहीं जोड़ा जाना चाहिये, क्योंकि यह एक साम्य रोग है, खास कर यदि इस का प्रारम्भिक अवस्था में ही निदान हो जाय। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उस पुराने पड़ गये पागलपन अधिनियम को बदलने

के लिए मानसिक स्वास्थ्य विधेयक का प्राक्क बनाना शुरू किया।

28 सितम्बर, 1966 को केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने ऐसा कानून बनाने के लिये एक स्थूल नीति अनुमोदित की। तथापि ऐसे एक विधेयक को बस्तुतः पेश करने में बिलम्ब हो गया, क्योंकि यह सुनिश्चित करने के लिये कि इस विधेयक का प्राक्क पूर्णतः व्यापक हो और इस विषय पर नवीनतम अनुसन्धान के आधार पर इसमें प्राथमिक विचारणा की नवीनतम प्रवृत्ति प्रतिबिम्बित हो, इस विधेयक को सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में परिष्कृत किया गया और इस विषय से सम्बन्धित सगठनों से भी सम्पर्क किया गया ताकि इन सब के विचार प्राप्त हो सकें। विभिन्न विकसित देशों में इस विषय से सम्बन्धित कानून की प्रतिलिपियाँ भी प्राप्त की गईं। यद्यपि कुछ राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों ने इस के पक्ष में अपने विचार व्यक्त किये, किन्तु अधिकांश किन्तु अधिकांश राज्य सरकारों प्रादि ने स्मरण पत्र भेजे जाने के बावजूद अपने विचार भेजने में देर कर दी। 1975 में सरकार ने यह महसूस किया कि क्योंकि इस मामले में बिलम्ब हो गया है, इसलिए विधेयक के प्राक्क में इस विषय पर नवीनतम जिकि-त्सीय दृष्टिकोण प्रतिबिम्बित नहीं होता। फलतः इस विधेयक का प्राक्क फिर से तैयार किया गया। अब सरकार के पास एक विधेयक है, जो भारत में व्याप्त स्थितियों के परिपेक्ष्य में उपलब्ध मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत हद तक एक नवीनतम प्रबन्ध है।

जहाँ तक डा० सुशीला नैयर के मानसिक स्वास्थ्य विधेयक, 1977 का प्रश्न है, यह बतला देना प्रासंगिक होगा कि यह विधेयक लगभग बैसा ही है, जैसा कि 1966 में जब डा० सुशीला नैयर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री थी, सरकार द्वारा तैयार किया गया विधेयक था। तब से 1966 के इस सरकारी विधेयक

[श्री राज नारायण]

के बहुत से उपवध विभिन्न राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों के बलावा मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र के विशेषज्ञों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर संशोधित हो चुके हैं। विधेयक की भाषा को भी बिधि, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बहस करके वा. परामर्श करने के परिणामस्वरूप कानूनी दृष्टि से अधिक स्वीकार्य बना दिया गया है। इस सामान्य सुधारों के अलावा हमारे विधेयक में कुछ अनिश्चित उपवध भी उपलब्ध हैं जो डा० सुशीला नायर द्वारा प्रस्तुत किये गये इस विधेयक में शामिल नहीं हैं। ये उपवध हैं—

**धारा 19** इस धारा में मानसिक रूप से रोगी ऐसे व्यक्तियों की भर्ती करने की व्यवस्था है जो कतिपय विशेष परिस्थितियों में स्वयं भर्ती होने को अपनी इच्छा का व्यक्त न कर सकने हों।

**धारा 46** : इस धारा में यह व्यवस्था है कि यदि इस अधिनियम के अधीन जारी किसी प्रदेश के अनुसूचित में पागलखाने में भर्ती कोई मानसिक रोगी यह महसूस करे कि वह ठीक हो गया है तो वह अपनी छुट्टी के लिए आवेदन कर सकता है।

**धारा 52** : इस धारा में किसी मजिस्ट्रेट के प्रदेशों के विशद जिले न्यायालय में अपील किए जा सकने की व्यवस्था है।

**धारा 92** : इस धारा में यह निर्दिष्ट किया गया है कि किसी मानसिक-रोगी अस्पताल आदि का मेडिकल अफसर डॉक्टर अपनी संस्था में रखे गये हर मानसिक रोगी की मानसिक और शारीरिक दशा के बारे में अर्द्ध-वार्षिक रिपोर्ट देगा।

**धारा 94** : इस धारा में कतिपय परिस्थितियों में राज्य के खर्च पर मानसिक रोगी को कानूनी सहायता दिए जाने की व्यवस्था है।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि हमारे प्रस्तावित विधेयक की धारा 46, 52 और 94 मानसिक रोग व्यक्तियों के प्रत्यक्ष हित में शामिल की गई है। विधेयक की धारा 19 इस अधिनियम के उपवधों में कतिपय अंतर्गत का दूर करने के उद्देश्य से शामिल की गई है। धारा 92 अस्पताल आदि में देख-रेख के लिए रखे गए मानसिक रोग व्यक्तियों के हित में भी है। इन बातों को देखते हुए और यह देखते हुए कि मैंने अनेक बार इस सम्मानित सदन और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सलाहकार समिति का सूचित कर दिया है कि सरकार शीघ्र ही मसद् में मानसिक स्वास्थ्य विधेयक प्रस्तुत करने का विचार रखती है, गैर-सरकारी सदस्य डा० सुशीला नायर से अपना विधेयक वापस लेने का पुनः अनुरोध करता हूँ और सादर और साग्रह अनुरोध करता हूँ कि वह अपना विधेयक वापस ले ले और जा सरकारी विधेयक हो, वह ज्वान्ट सेक्टर कमेटी में जाए और डा० सुशीला नायर अपनी सारी जानकारी, अपनी सारी जान और अपनी सारी प्रतिभा के कर उस कमेटी का सुशासित करे और उस कमेटी को सुशासित कर के उस का एक सुधार स्वरूप में और सम्मानित सदस्यों ने जो भाव यथा पर व्यक्त करे हैं, उन सभी भावों का उस में समावेश हो।

**श्री हरि चिन्मू कामल :** कब तक वह विधेयक प्रस्तुत होगा ?

**श्री राज नारायण :** मैं तो चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस सदन में आए और इसी सत्र में भा जाए। वह विधेयक बन रहा है।

**धन धरर डा० सुशीला नायर की कुछ हमारे में प्रतिक्रिया हो, ती मैं उन से बही**

कहना चाहता हूँ जैसा हनुमान जी ने श्रीर म से कहा था कि अगर मेरे में शक्ति हो, तो मे अपना पेट चीर कर दिखा दू श्रीर फिर आप देखेंगे कि हमारे हृदय में राम नाम अंकित होगा। वही मे डा० सुशीला नायर जी ने निवेदन करता हूँ कि वे अधिश्चसनीय वाता- धरण में विचरण न करे। अधिश्चसनीय वातावरण से विचरण करने से बुद्धि में मदता आती है। इसलिए मे कर-बद्ध प्रार्थना करूंगा, चिनय के साथ प्रार्थना करूंगा कि उन की इच्छा, उन की मशा जा कुछ वे अपने मंत्री रहते हुए नहीं कर पाईं उस का जनता पार्टी की सरकार पूरा करेगी श्रीर व्यापक रूप मे पूरा करेगी।

इन शब्दों के साथ पुन उन से निवेदन करते हुए श्रीर इस सम्मानित सदन से सम्मानित सदस्यों से निवेदन करते हुए, मे चाहूंगा कि सदन उन से कहे कि वे अपना विधेयक वापस ले लें श्रीर उस के स्थान पर एक सरकारी विधेयक व्यापक रूप में यहा पर प्रस्तुत हा श्रीर शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत हो। इम में न तो घरा घटेंगे श्रीर न ही गगन फटेगा।

डा० सुशीला नायर (सामी) मे मंत्री सम्माननीय सदस्यों की आभारी हूँ जिन्होंने इम विधेयक पर अपने विचार व्यक्त किये है श्रीर इस विधेयक का स्वागत किया है। श्रीमन् में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का अधिश्वास नहीं करती, मे इम बात को स्वीकार करती हूँ कि उनके दिल में रोगियों के लिए कुछ करने की तमशा है। वह मानसिक रोगियों के लिए भी कुछ करना चाहते हैं श्रीर दूसरे रोगियों के लिए भी कुछ करना चाहते है। लेकिन में बड़े अदब से कहना चाहती हूँ कि उन्ही की तरह मे भी इस सम्बन्ध में बात करती थी। में जब स्वास्थ्य मंत्री थी उस समय, जब दूसरे लोग इस प्रकार के बिल लाया करते थे, मे भी कहा करती थी कि इस संबंध में सरकार विधेयक ला रही है। यह बात नहीं है कि हमने उस समय बिल ही बनाया था, हमने बिल तैयार किया था

श्रीर यह जो बिल मेने इस सदन के सामने रखा है, यह वही बिल है जो स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मेने तैयार कराया था। हा, इसमें कुछ विशेषज्ञों की सलाह से थोडा बहुत सुधार अधश्य किया है। हो सकता है कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपने बिल में कुछ और जोडा हो। लेकिन श्रीमन् मे नम्रता से फिर कहना चाहती हूँ कि स्वास्थ्य मंत्री जी के बिल में श्रीर मेरे बिल में बहुत बडा फर्क नहीं है। जो बिल मेने मदन में पेश किया है उसमें मेंटल हास्पिटल्स और, मेंटल नर्सिंग होम्स की बात कही है श्रीर जो बिल मंत्री जी लाये हैं उसमे साएकिएट्रिक होस्पिटल्स एड साएकिएट्रिक नर्सिंग होम्स के बारे में कहा गया है। अधिकतर सब बातें एक सी है। इसी प्रकार से दो चार धाराए मंत्री जी ने श्रीर बढायी है। आपके बिल की करीब सभी धाराए मेरे बिल में मौजूद है। अब सवाल यह है कि आपका कहना है कि इम इसी सब में यह बिल लायेगे। लेकिन मेरा अपना निजी अनुभव है कि पूरी इच्छा होने हुए भी श्रीर पूरा परिश्रम करते हुए भी, मे पाच वर्ष तक बिल लोक सभा में नहीं ला सकी। मुझको मानसिक स्वास्थ्य के बिल के लिए समय ही नहीं दिया गया। 1962 से 1967 तक हमने इस बिल को लाने का प्रयास किया था। 1975 तक यह बिल नहीं लाया गया। फिर इम पर पुनविचार किया गया। इस पर पुनविचार के बाद यह बिल हमारे सामने आया है, जिस पर कि आज आप विचार कर रहे है। मंत्री जी इसे वापस लेने को कह रहे है।

मंत्री महोदय से मेरा इतना ही निवेदन है कि जब वे इस प्रकार का बिल स्वीकार करते के लिए तैयार है, इस बिल की भावना से आप सहमत है तां मेरा कहना यह है कि बजाय इसके कि आप दूसरा बिल लाएँ जिसके लिए आपको लोक सभा से समय मिले या न मिले, जब कि यह बिल लोक सभा



[श्री० सुब्रह्मण्यः नायर]

के सामने है तो इसी बिल को प्रवर समिति के सामने प्राप क्यों नहीं रख देते ? आप इसमें जो छोटा-मोटा सुधार करना आवश्यक समझे वह प्रवर समिति द्वारा कर सकते हैं। इस बिल को मंत्री जी प्रवर समिति को भेजने की सहमति दें।

श्रीमन मे यह बिल प्रवर समिति के लिए पेश करती हूँ और स्वास्थ्य मंत्री जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे इस विधेयक को पास करने का समय लवाये नहीं। मानसिक रोग एक बहुत बड़ा समस्या है। मे अपने परिवार में मानसिक रोग को देख चुकी हूँ और बच्चों के यहाँ भी। इसी वजह से मेरे दिल में यह लगन है तड़प है। मे जानती हूँ कि मानसिक रोगियों की क्या हालत होती है, उनका दायित्व करने में कितनी कठिनाई होती है। अस्पताला में रोगियों की क्या हालत होती है, यह सब मे जानती हूँ। मे इस सम्बन्ध में अनुभव कर चुकी हूँ, देख चुकी हूँ। श्रीमन मंत्री महादय, बड़े लगन वाले उदार व्यक्ति हैं। मैं उन से सहमत हूँ कि मानसिक रोगों केवल पत्थर फेंकने वाला पागल ही नहीं होता है। जिस प्रकार श्रीमती इंदिरा गांधी ने गलन काम किये वह भी एक प्रकार की मानसिक विकृति हो थी। अंग्रेजों में इसे इमानेशन इनसिक्वोरिटी कहते हैं। इमीशनली इनसिक्वोरिटी व्यक्ति को यह दिखाना होता है कि मे बहुत बड़ा हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है और वह अनेक प्रकार के गलन काम करता है। इस देश में एक बि० जिन्ना भी थे जो इसी प्रकार से मानसिक विकृति के विकार थे और उनके कारण हम देश का विभाजन हुआ। इसी प्रकार की मानसिक विकृति वाले एक हिटलर थे जिस ने यूरोप में खून की नदियाँ बहाईं। मानसिक विकृति को शूक में ही पकड़ लिया जाए, उसको दुरुस्त कर दिया जाए, यह अत्यन्त

आवश्यक है। इस विषय में आयुर्वेद का भी स्थान है, यह मे अच्छी तरह से जानती हूँ।

मे स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि हमारा जो शब्द है स्वास्थ्य वहीं सब से अच्छी डैफीनीशन है मानसिक हेल्थ की। स्व मतलब सैल्फ। स्थ अर्थात् स्टेबलिटी स्थिरता जिस भी अपने अन्दर स्थिरता है स्टेबिलिटी विदिन सैल्फ। यही मॅटल हेल्थ का मिफिट है। हमारा हिन्दी का शब्द स्वास्थ्य मेटल हेल्थ की खूबसूरत डैफीनीशन है।

इससे प्रागे जा कर मैं कहना चाहती हूँ कि बगलौर में एक मॅटल हेल्थ इस्टीट्यूट है। वहाँ पर एक आयुर्वेद के विशेषज्ञ थे। उनके द्वारा हमने सिजोफेनिया वालों का ट्रीटमेंट कराया था और वह इतना सफल हुआ था कि हम ने वहाँ पर पचास बैड उसके लिए कर दिए थे। ऐसे बहुत से किस्मे है जिन का प्राप जानते हैं।

16 53 hrs

[SHRI DHIRENDRANATH BASU in the Chair]

जो विधेयक मैंने पेश किया है उस में अस्पताला के अन्दर चिकित्सा, घाउट डोर तरीके की चिकित्सा, विलनिक द्वारा चिकित्सा, स्वेच्छा से मरीज अस्पताल में जा सके और अस्पताल से निकल जाए, मैजिस्ट्रेट के पास अतील इत्यादि करने की व्यवस्था सब चीज मौजूद है। मे स्वीकार करती हूँ कि मंत्री महादय के पास जितने साधन है मेरे पास इस बिल को रियाइज करने के, सुधारने के उतने साधन नहीं थे। मैंने जितने भी मेरे मिल थे, विशेषज्ञ थे, उन से पूछ कर इस में सुधार बिलना मैं कर सकती थी कि। अब इस में और भी जितने सुधार बह करना चाहते हैं बड़ी धासानी से प्रवर समिति के सामने आ कर वे कर सकते

हैं और दूसरे लोग भी अपने सुझाव उस समिति को दे सकते हैं। अगर इसको प्रथम समिति के सुपुर्द कर दिया गया तो इसका परिणाम यह होगा कि दो चार छ महीने में यह बिल कानून बन जाएगा और अनेकानेक मानसिक रोगियों को राहत मिलेगी। अगर मंत्री महोदय इसको स्वीकार नहीं करेंगे, इसको वापिस लिए जाने का आग्रह करने तो यह सारी प्रक्रिया लम्बी जाएगी। प्रश्न आने तक उनको बचत मिलेगा। उनकी इच्छा रहते हुए भी काम इतना होता है लोक सभा में कि सभ्य नहीं हो पाता है कि सभी बिलों को लाया जा सके या पास करवाया जा सके।

सभापति महोदय, मे आपकी आज्ञा से ये बीस नाम प्रथम समिति के लिए उनकी सेवा में पेश करना चाहती हूँ। डा० कर्ण सिंह, डा० सरदीयम राय, श्री कृष्ण कान्त, डा० मुरली मनोहर जाशी, श्री हरि चिष्णु कामत, श्रीमती मृगाला गौरी, श्री सी० के० चन्दपन

MR CHAIRMAN: The motion is for the consideration of the Bill.

DR SUSHILA NAYAR: I am saying that the Bill .

PROF P G MAVALANKAR (Gandhinagar): She is moving an amendment for sending it to the select committee.

DR. SUSHILA NAYAR: I am saying that the Bill which I have presented, may be agreed to by the hon. Health Minister and sent to Select Committee, consisting of the 20 names that I have given here, plus such names as may be given by the Rajya Sabha, so that the few small changes that have been made in the Government draft Bill which the Minister wants to present, can be incorporated in this very Bill. I read out the remaining names. They are: Prof. P. U. Mavalankar, Shri Saugata Roy, Shri Vasant Sathe, Shri-

mati Pramila Chavan, Shri Satyanarayana Rao, Shri Venkataraman, Dr. Bapu Kaldate, Dr. Ramji Singh, Prof. Dalip Chakravarty, Shri Ravindra Varma, Shri Shanti Bhushan, Shri Raj Narain and Dr. Sushila Nayar. These are the 20 names that I would suggest. I would request most humbly, most forcefully, with folded hands that the Health Minister may please accept this Bill in the interests of the suffering mentally sick people. He may please introduce such changes as he desires in this very Bill in the Select Committee, so that there is no chance of this matter being again put in cold storage. I know the Health Minister will not wish to do so. मुझे विश्वास है

कि वह इस काम को जल्दी कराना चाहते हैं। लेकिन होगा नहीं। मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कह रही हूँ। मैंने पूरी ताकत लगा दी थी लेकिन पांच बरस में यह बिल पास नहीं करा पाई। उनसे भी नहीं होगा। मानसिक रोगियों के लिए यह बहुत दुख की बात है कि यह विधेयक फिर से खटाई में पड़ जाये। इसलिए अत्यन्त विनम्रता से मंत्री महोदय से पुन विवेचन है कि वह सिलेक्ट कमेटी के प्रस्ताव को स्वीकार कर ले और इस में उन के अपने जो भी सुधार हैं, उन्हें शामिल कर लें।

श्री राज बेनी राज (पलामू) : सभापति महोदय, मेरा पायट अफ आर्डर है। क्या किसी प्राइवेट म्बेर को यह राइट है कि वह स्वयं सिलेक्ट कमेटी के म्बेरों के नाम प्रोपोज करे ?

PROF. DILIP CHAKRAVARTY (Calcutta South): Mr. Chairman, so far as that point of order is concerned, I do not think anything precludes the hon. Member from suggesting certain names for consideration by the hon. Minister. It is the Minister who will finally suggest the names of Members. But nothing precludes a Member from suggesting some names for the consideration of the Minister.

श्री राज नारायण . सभापति महोदय, मैंने सचिनय, सादर, साग्रह माननीया डा० सुशीला नायर से करबद्ध प्रार्थना की है कि वह इस साधु विधेयक को वापस ले लें, क्योंकि उनकी सारी मन्ना को रखते हुए, और अगपक दृष्टिकोण से, तमाम राज्यों के जो समितियां आई हैं, उनका और तमाम विशेषज्ञों तथा विश्व के अनेक विद्वानों की सम्मतिपूर्ण का समावेश करके सरकार ने एक विधेयक तैयार किया है। उम विधेयक को ला-डिपार्टमेंट और अन्य सम्बन्धित डिपार्टमेंट्स ने देख लिया है। वह विधेयक हम जरदी से जल्दी लायेंगे। मालूम नहीं क्यों एक मामूली सी बात को समझा नहीं गया, जो डाक्टर की समझ में आनी चाहिए, और वह है ह्यूल आफ हिस्ट्री—इतिहास चक्र।

एक जमाना था सुशीला जी के मन्त्रि-मडल काल का। एक जमाना है हमारा। 1969 में श्री नीलम सजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद के लिए तिकडम, साजिश और धाँखे से हराया गया। लेकिन वही श्री नीलम सजीव रेड्डी आज राष्ट्रपति पद पर विराजमान हैं। 1969 में श्री मोरारजी देसाई मन्त्रि-मडल से साजिश, तिकडम और बेईमानी के ड्राग हटने के लिए मजबूर किये गये। मगर वही मोरारजी भाई देसाई आज भारत के प्रधान मंत्री के पद पर आसीन है। यह है इतिहास का कालचक्र जो काम सुशीला जी स्वास्थ्य मंत्री के रूप में नहीं कर पायी जनता पार्टी की सरकार उस काम को कर पाएगी, मैं उनको यह विश्वास दिलाता हूँ। इसलिए मैं फिर उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वह इतिहास के काल-चक्र को समझते हुए अपने विधेयक को वापस लेने की अनुधार कृपा करें और सरकार के विधेयक लाने के धक्कर का इतजार करे और मगर नहीं करे तो. . (अवधारण) . .

17.00 hrs.

श्री० पी० जी० नाबलंकर (गान्धीनगर):  
मन्त्री महोदय ने कहा कि ला.ए.ने, तो कितनी जल्दी ला.ए.ने यह बता दें।

श्री राज नारायण : जल्दी से जल्दी, स्वरित गति से, इसी सेशन में लाएँगे और उसको ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में भेज देंगे। सुशीला जी उसमें विराजमान रहेंगी।

डा० सुशीला नायर : मुझे खेद है कि मन्त्री महोदय ने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की और वह नहीं करेंगे तो पार्टी के एक डिप्लि-ड रुदरफ के नाते मुझे विधेयक वापस लेना पडेगा लेकिन मुझे खुशी इस में बिलकुल नहीं है, इतना मैं कहना चाहती हूँ। मैं सदन की आज्ञा चाहती हूँ वापस लेने की।

I beg leave of the House to withdraw the Bill to consolidate and amend the law relating to the treatment and care of mentally ill persons, to make better provision with respect to their property and affairs and for matters connected therewith or incidental thereto

MR. CHAIRMAN The question is:

"That leave be granted to withdraw the Bill to consolidate and amend the law relating to the treatment and care of mentally ill persons, to make better provision with respect to their property and affairs and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted

DR. SUSHILA NAYAR: I withdraw the Bill

The Bill was by leave, withdrawn.